UPSI180023962019

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद, सीतापुर।

फौजदारी वाद संख्या–1669/2019

सरकार बनाम सहान अहमद आदि।

अपराध सं०–99/2019
धारा–147, 323, 504, 506, 427 भा०दं०सं०
थाना–महमूदाबाद, जिला–सीतापुर।

आरोप

मैं, रंजीत कुमार जायसवाल, सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद सीतापुर आप अभियुक्तगण **सहान अहमद, फहीम अहमद, रईश अहमद, मो० सिराज, नबी अहमद, मो० आफताब, जाबिर व राशिद** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1. यह कि दिनांक–16.04.2019 को समय अज्ञात, स्थान बहद वादी की दुकान रोडवेज बस स्टाप, थाना–महमूदाबाद, जिला–सीतापुर के सीमान्तर्गत आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मो० वारिश को मारने–पीटने के आशय से बल्वा कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा–147 भारतीय दंड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मो० वारिश व उसके लड़कों को मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा–323 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादी मुकदमा व अन्य को गन्दी–गन्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादी मुकदमा व अन्य को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादी मुकदमा की दुकान में रखी मशीन व 10 कैरेट कोल्ड्रिंक को तोड़ दिया व दुकान में रखा गल्ला फेंककर छतिग्रस्त कर दिया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया है जो **धारा–427** भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोप के सम्बन्ध में आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांकः–20.01.2025

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः–20.01.2025

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।

vijay/–

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2025.01.20 17:37:33 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M Mahmudabad Sitapur.